

धारा 83 : कतिपय मामलों में राजस्व के संरक्षण के लिए अनंतिम कुर्की

¹[(1) जहां अध्याय 12, अध्याय 14 या अध्याय 15 के अधीन किसी कार्यवाही के आरंभ होने के पश्चात्, आयुक्त की यह राय है कि सरकारी राजस्व के हित की संरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह लिखित में आदेश द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 122 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कराधेय व्यक्ति या किसी व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता भी है, को अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा।

(2) ऐसी अनंतिम कुर्की का उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के अवसान पर प्रभाव नहीं होगा।

उपयुक्त नियम: नियम 159

उपयुक्त प्रारूप: प्रारूप जीएसटी डीआरसी-22, जीएसटी डीआरसी-22क, जीएसटी डीआरसी-23

¹ वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 39/2021-केन्द्रीय कर, दिनांक 21.12.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2022 से प्रभावशील किया गया।
प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

"(1) जहां धारा 62 या धारा 63 या धारा 64 या धारा 67 या धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान आयुक्त का यह मत है कि सरकारी राजस्व के हित का संरक्षण करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित आदेश द्वारा अनंतिम रूप से ऐसे कराधेय व्यक्ति की संपत्ति, जिसके अंतर्गत बैंक खाता है, की ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कुर्की कर सकेगा।"